SYNERGY

BSES
BSES Rajdhani Power Limited

... दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम

जुलाई – 2014

'बिजली गुल' की शिकायत हेल्पलाइन नंबर, आईवीआरएस और एसएमएस के जरिए करें

कॉल करें 24x7 **399–99–707**

आईवीआरएस

- किसी रजिस्टर्ड नंबर से 399–99–707 पर कॉल करें*
- भाषा का चयन करें
- बिजली गुल के लिए 1 दबाएं, और आईवीआरएस आधारित सेवाओं के लिए ऑप्शन 2 चुनें
- आपका अनुरोध स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएगा
- अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं तो अनुरोध दर्ज कराने के लिए सीए/सीआरएन नंबर को पंच करें

एसएमएस

टाइप करें–बीएसईएसआरपी, स्पेस दें, एनसी लिखें, स्पेस दें, नौ अंकों वाला सीए नंबर टाइप करें और 5–61–61–07 पर भेज दें।

**आप अपने कांटेक्ट नंबर को 399–99–707 पर कॉल करके अथवा बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर लॉग ऑन करके रजिस्टर करा सकते हैं*

बारिश का मजा सावधानी के साथ

यह जानकर सभी को खुशी होगी कि मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मानसून जहां अपने साथ तमाम् खुशियां लाता है वहीं कुछ अनोखी समस्याओं और मुद्दों को भी साथ लाता है। जलभराव के कारण, इलेक्ट्रिसिटी संबधित दुर्घटनाएं और घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। कुछ सामान्य सावधानियां आपको सुरक्षित रखने और दुर्घटनामुक्त मानसून को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

- बिजली उपकरणों मसलन इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब–स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, स्ट्रीट लाइट आदि से दूर रहें।
- बिजली उपकरणों के निकट बच्चों के खेलने के दौरान सर्तक रहें, अगर जाली लगी है तो भी।
- गीले हाथों से इलेक्ट्रानिक उपकरणों को न छुएं।
- घर में टेस्टर रखें। अगर आपके घरों का स्विच और दीवारें गीली हों तो उन्हें न छुएं। पहले चेक करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करें, अगर बिजली का रिसाव हो रहा है। अगर जरुरत हो तो इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें।

आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) और स्ट्रीटलाइट संबंधी शिकायत के लिए फोन करें – 1800–103–9707

अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा हमारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) और स्ट्रीटलाइट संबंधी शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए बीआरपीएल ने एक पूर्ण समर्पित, टोल फ्री यानी शुल्क रहित नंबर – 1800–103–9707 की शुरुआत की है। यह नंबर चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करता है।

यह पूर्ण समर्पित नंबर, बीआरपीएल के मौजूदा हेल्पलाइन नंबर 399–99–707 के अलावा है। इस पर भी आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) एवं स्ट्रीटलाइट की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। गौरतलब है कि यह हेल्पलाइन नंबर भी चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करता है।

दूरदराज इलाके के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन

दूरदराज के ग्रामीण एंव अर्द्धग्रामीण इलाकों मे रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बीआरपीएल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवा रहा है। हाल ही में दो कैप का आयोजन नजफगढ़ और जाफरपुर में अग्रणी अस्पतालों के सहयोग से आयोजित किया गया।

इस कैंप में उपभोक्ताओं को बिजली बचत संबधित टिप्स भी बताये गये। बिजली चोरी को लेकर लोगों का सहयोग अच्छा रहा। स्थानीय ब्रेक डाउन की समस्या भी कम होगी।

बिजली चोरी कानूनी अपराध

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनाधिकृत एवं गैर कानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। इस अधिनियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है जिसके तहत तीन साल तक (दोबारा पकड़े जाने पर पांच साल तक की) की जेल की सजा/जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

आप बिजली चोरी की सूचना 399–99–707 पर कर सकते हैं। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

To advertise in Synergy, please call Twohmp at 9650804539 or email : direct@twohmp.in
BSES Rajdhani Power Limited is not legally responsible for the contents of the advertisements in Synergy